

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(6011-यू)/10/


दिनांक :

1. निदेशक भ्रमणशील
शल्य चिकित्सा ईकाई
जयपुर
2. समस्त संयुक्त निदेशक
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन-.....राजस्थान
3. समस्त अधीक्षक
संबद्ध चिकित्सा समूह
राजस्थान
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान

परिपत्रादेश

विषय:- चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृति करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके अधीन कार्यरत कर्मचारियों के चयनित वेतनमान/एसीपी स्वीकृति प्रपत्र निर्धारित चैक लिस्ट में भिजवाते हुये कार्मिक विभाग की विज्ञप्ती क्रमांक 7 (1)डीओपी/क-2/95 दिनांक 20.06.01 की अनुपालना में संतान संबधी प्रमाण पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर भिजवावे।


संयुक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।

क्रमांक :- ई-18/एम/(6011-यू)/10/ 1217

दिनांक : 27/7/10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक (जन स्वा0)/आरसीएच/एड्स, मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय बैबसाईट पर अपलोड करें।
5. समस्त कार्यालय अधीक्षक एवं प्रभारी अनुभाग।
6. परिपत्र पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (प्रशा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर।